राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रूप-1) विभाग

कमांकः प. 9(51)राज -1/2014

जयपुर, दिनांक : 28 | 03 | 2018

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला टोक की तहसील, मालपुरा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एक्ट्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-८ के अनुसार होगा :-

क.सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि. मी.	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल
			जन संख्या	क्षेत्रफल	ग्राम का नाम	जन संख्या	क्षेत्रफल	- "	(हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	टोक / मालपुरा	रिण्डल्या बुजुर्ग	1849	1396	मुण्डेती	305	340	3.0	1056

नवीन राजस्व ग्रामों के गढन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेत् उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, टोक को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेत् निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

संयुक्त शासन सचिव

कृपउ

Sort Comlesh Sharing